

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

मंगलवार, 28 मार्च, 2017/7 चैत्र, 1939(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगी:-

- (i) नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16;
- (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14(विलम्ब के कारणों सहित);
- (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14(विलम्ब के कारणों सहित) ; और

- (iv) हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डा0 वाई0एस0 परमार, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16(विलम्ब के कारणों सहित) ।
- (2) श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान जारी किए गए अंकेक्षण प्रतिवेदनों का संकलित समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (3) श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65(2) के अन्तर्गत विकलांगता पर वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का 174वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10(राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 175वां मूल प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित है; और
- (iii) समिति का 176वां मूल प्रतिवेदन(बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है ।

- (2) श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों एवं आय-व्ययक आंकड़ों की संवीक्षा पर आधारित है तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले से सम्बन्धित है; और
- (ii) समिति का 24वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है ।
- (3) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 70वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित की गतिविधियों के समस्तरी अध्ययन (Horizontal Study) पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।
- (4) श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का नवम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि बारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायत्तशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

- (ii) समिति का दशम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि बारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें, बारहवें एवं तेरहवें सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है ।
- (5) श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का 28वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 23वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और
- (iii) समिति का 30वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि सैनिक कल्याण विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।
- (6) श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2016-17), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है; और
- (ii) समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री गुलाब सिंह ठाकुर, दिनांक 23 मार्च, 2017 को दैनिक जागरण समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "सिर और टांगें काटकर तेंदुआ फेंक गए शिकारी", से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमान:-

वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान ।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

शिमला-171004
दिनांक: 27 मार्च, 2017

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 4 - सामान्य प्रशासन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	4
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग " सामान्य प्रशासन" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री महेन्द्र सिंह ।

सरकार की नये संस्थान खोलने की नीति का
अननुमोदन ।

मितव्ययता कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

" सामान्य प्रशासन"

की राशि में एक करोड़ रूपये की कमी की जाए ।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह ।

प्रशासन में मितव्ययता लाने हेतु फिजूल खर्चों पर
रोक लगाई जाये ।

शिमला-171004.
दिनांक 22.3.2017.

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 5 - भू-राजस्व व जिला प्रशासन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	5
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग "भू-राजस्व व जिला प्रशासन" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री रविन्द्र सिंह ।

1. जिला प्रशासन को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार द्वारा भूमिहीनों को भूमि आबंटन करने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की भू-व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 22.3.2017

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 8- शिक्षा

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
--------------	----------------	-------------

नीति का अननुमोदन

8

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
“शिक्षा”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
श्री विजय अग्निहोत्री,
श्री इन्द्र सिंह,
श्री बिक्रम सिंह,
श्री रिखी राम कौंडल,
श्री जय राम ठाकुर,
श्री बलदेव सिंह तोमर,
डॉ० राजीव बिन्दल,
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,
श्री वीरेन्द्र कंवर,
श्री गोविन्द राम शर्मा,
श्री रणधीर शर्मा ।

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की शिक्षा संस्थानों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की नये शिक्षण संस्थान खोलने की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में भर्ती की नीति का अननुमोदन ।
5. सरकार की निजी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि व खेल मैदान की नीति का अननुमोदन ।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
‘शिक्षा’
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्री महेन्द्र सिंह ।

मांग संख्या-8 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप
राजकीय महाविद्यालय संधोल के भवन हेतु पर्याप्त
धनराशि न दे पाने में सरकार की असफलता ।

शिमला-171004.
दिनांक 22.3.2017

सचिव,
विधानसभा ।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

9

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
श्री महेश्वर सिंह,
श्री बिक्रम सिंह,
डॉ० राजीव बिन्दल,
श्री जय राम ठाकुर,
श्री बलदेव सिंह तोमर,
श्री गोविन्द राम शर्मा,
श्री रणधीर शर्मा,
श्री कृष्ण लाल ठाकुर।

1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/दवाईयों की क्रय नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की प्रदेश में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खोलने की नीति का अननुमोदन।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण”

की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्री महेन्द्र सिंह:

- (1) मांग संख्या-9 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धर्मपुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तीरा, मनदीप एवं चौलथरा के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण न कर पाने में सरकार की असफलता।
- (2) मांग संख्या-9 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि को सदुपयोग न कर पाने में सरकार की असफलता।

शिमला-171004.
दिनांक 22.3.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 10 -लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
--------------	----------------	-------------

नीति का अननुमोदन

10

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए ।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री महेश्वर सिंह,
श्री विजय अग्निहोत्री,
श्री इन्द्र सिंह,
श्री रविन्द्र सिंह,
श्री बिक्रम सिंह,
डॉ० राजीव बिन्दल,
श्री रिखी राम कौंडल,
श्री जय राम ठाकुर,
श्री बलदेव सिंह तोमर,
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,
श्री वीरेन्द्र कंवर,
श्री कृष्ण लाल ठाकुर,
श्री गोविन्द राम शर्मा,
श्री रणधीर शर्मा ।

- सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।
- सरकार की मशीनरी तथा उपकरण क्रय एवं आबंटन की नीति का अननुमोदन ।
- सरकार की प्रत्येक पंचायत को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने की नीति का अननुमोदन ।
- सरकार की विश्राम गृहों और परिधि गृहों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन ।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

‘लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन’

की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्री महेन्द्र सिंह:

- (1) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप खुडही-सोहर व सरकाघाट-रशैण-चोलथरा सड़कों के कार्य में उचित सामग्री का उपयोग न कर पाने में सरकार की असफलता।
- (2) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप सी0आर0एफ0 सड़क कमलाह-मढ़ी-बरोटी, डली-रोशों, कोठी से रशैण, पपलोग तथा रशैण-लटैहड़ा सड़कों का कार्य समय पर न कर पाने में सरकार की असफलता।
- (3) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप चुहडू-बाल्ह पुल निर्माण की धनराशि न खर्च कर पाने में सरकार की असफलता।
- (4) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप नाबार्ड के अन्तर्गत पाटी-कथैली सड़क का निर्माण न कर पाने में सरकार की असफलता।

श्री महेश्वर सिंह:

- (1) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप बन्जार-बठाहड़ वाया सराहन और निरमण्ड से रामपुर तक सड़क का निर्माण न कर पाने में सरकार की असफलता।
- (2) मांग संख्या-10 में किए गए प्रावधान के फलस्वरूप भठाहड से बरलेड पास सराहन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण न कर पाने में सरकार की असफलता।

शिमला-171004.
दिनांक 22.3.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 11- कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
--------------	----------------	-------------

	1. नीति का अननुमोदन	11
--	----------------------------	-----------

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
“कृषि”
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री विजय अग्निहोत्री,
श्री बिक्रम सिंह,
श्री रिखी राम कौंडल,
डॉ0 राजीव बिन्दल ।

- सरकार की नई सब्जी मण्डियों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 22.3.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 12 - उद्यान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

12

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

“उद्यान”

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
श्री रिखी राम कौंडल,
श्री जय राम ठाकुर,
श्री रणधीर शर्मा ।

1. सरकार की अच्छे किस्म के रूट स्टॉक का आयात करने तथा पौध संरक्षण एवं औज़ार क्रय करने की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की फल विधायन केन्द्र हेतु कच्चे माल की खरीद की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को सुदृढीकरण करने की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 22.03.2017

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

नीति का अननुमोदन

13

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

‘सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई’

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
श्री विजय अग्निहोत्री,
श्री इन्द्र सिंह,
श्री बिक्रम सिंह,
डॉ0 राजीव बिन्दल,
श्री रिखी राम कौडल,
श्री जय राम ठाकुर,
श्री बलदेव सिंह तोमर,
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,
श्री वीरेन्द्र कंवर,
श्री कृष्ण लाल ठाकुर,
श्री गोविन्द राम शर्मा,
श्री रणधीर शर्मा ।

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कूहलों, नलकूपों एवं हैंडपम्पों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी की नीति का अननुमोदन।

2. मितव्ययता कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

‘सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई’

की राशि में एक करोड़ रूपये की कमी की जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज।

1. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में मितव्ययता लाने हेतु अत्याधिक फीटिंग सामग्री की खरीद पर रोक लगाई जाये।
2. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में मितव्ययता लाने हेतु उठाऊ पेयजल योजनाओं को Out Source पर देने बारे रोक लगाई जाये।

शिमला-171004.
दिनांक 22.03.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 16- वन और वन्य जीवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “वन और वन्य जीवन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	16

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
श्री महेश्वर सिंह,
श्री विक्रम सिंह,
श्री विजय अग्निहोत्री,
डॉ0 राजीव बिन्दल,
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,
श्री वीरेन्द्र कंवर,
श्री रणधीर शर्मा ।

- सरकार की वर्तमान वन नीति का अननुमोदन।
- सरकार की जंगली जानवरों से निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की पौध रोपण नीति का अननुमोदन।
- सरकार की विश्व बैंक द्वारा सहायक मीड हिमालयन जल प्रवाह विकास परियोजना में धनराशि को व्यय करने की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की भू-जल संरक्षण नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 22.03.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	18

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
“उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी”
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
डॉ0 राजीव बिन्दल,
श्री कृष्ण लाल ठाकुर,
श्री गोविन्द राम शर्मा ।

1. सरकार की वर्तमान उद्योग नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की लघु उद्योग स्थापित करने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की पुनः संरचना की नीति का अननुमोदन।
5. सरकार की श्रमिक रोजगार नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 22.03.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 20- ग्रामीण विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<p><u>नीति का अननुमोदन</u> कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “ग्रामीण विकास” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।</p>	20

श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री महेन्द्र सिंह ।

- सरकार की वर्तमान ग्रामीण आवास आबंटन नीति का अननुमोदन ।
- सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मरम्मत की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 22.03.2017

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 22 - खाद्य और नागरिक आपूर्ति

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
--------------	----------------	--------------

	1. नीति का अननुमोदन	22
--	---------------------	----

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
“खाद्य और नागरिक आपूर्ति”
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री जय राम ठाकुर,
श्री रणधीर शर्मा,
डॉ0 राजीव बिन्दल ।

- सरकार की खाद्य सामग्री की खरीद एवं वितरण की नीति का अननुमोदन।
- सरकार की खाद्य भण्डारन तथा भाण्डागार की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 22.3.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 25 - सड़क और जल परिवहन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	25

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
“सड़क और जल परिवहन”
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह,
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,
श्री वीरेन्द्र कंवर,
श्री रणधीर शर्मा ।

1. सरकार की वर्तमान परिवहन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की बस अड्डों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 22.03.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 26 - पर्यटन और नागर विमानन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	26
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “पर्यटन और नागर विमानन” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री गोविन्द सिंह ठाकुर,
श्री वीरेन्द्र कंवर,
डॉ0 राजीव बिन्दल ।

1. सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की हवाई पट्टी/ हेलीपैड के निर्माण की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 22.03.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगों
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 28 - शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	28

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
“शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास”
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह।

1. सरकार की वर्तमान नगर एवं ग्राम योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की शहरों में वर्तमान सफाई, पार्किंग, मल निकासी नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्मार्ट सिटी बनाने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 22.3.2017

सचिव,
विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 31 - जनजातीय विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	31
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “जनजातीय विकास” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

डॉ० राजीव बिन्दल ।

1. सरकार की जनजातीय क्षेत्रों में वर्तमान विकास योजना की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 22.03.2017

सचिव,
विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2017-18 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 32 - अनुसूचित जाति उप-योजना

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	<u>नीति का अननुमोदन</u>	32
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग “अनुसूचित जाति उप-योजना” की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री महेन्द्र सिंह,
श्री सुरेश भारद्वाज,
श्री रविन्द्र सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 22.03.2017

सचिव,
विधान सभा।